2013:CGHC:5974

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर**

**एकल पीठ: माननीय श्री मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति**

**रिट याचिका क्रमांक 2195/03**

**याचिकाकर्ता** श्रीमती इन्दु सिंह

**बनाम**

**उत्तरवादीगण** छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य

**भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

**उपस्थिति-**

श्री वी. जी. तामस्कर, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।

सुश्री रक्षा अवस्थी, पैनल अधिवक्ता राज्य की ओर से ।

---

**मौखिक आदेश**

**(**(दिनांक 4 जनवरी, 2013 को पारित**)**

सुना गया।

2. याचिकाकर्ता, जो मृतक कर्मचारी की अभागी विधवा है, ने आदेश दिनांक 02/08/95 (अनुलग्नक पी/13) को अभिखंडित करने की प्रार्थना की है, जिसके द्वारा उसके दिवंगत पति को नियमित नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे ब्याज सहित अपने पक्ष में परिवार पेंशन जारी करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की है।

3. रिट याचिका में अंतर्वलित विवाद के विनिश्चय के लिए आवश्यक सर्वोत्कृष्ट तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के पति - अमर देव सिंह राठौर को आदेश दिनांक 14/05/80 (अनुलग्नक पी/1) के माध्यम से कूप-गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था और

वनमंडलाधिकारी (उत्पादन), वन मंडल, धमतरी के कार्यालय में पदस्थ किया गया था। उन्हें चयनित कर वन रक्षक के रूप में प्रसिक्षण हेतु आदेश दिनांक 07/09/82 (अनुलग्नक पी/2) के माध्यम से भेजा गया। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात्, प्रशिक्षण पूर्णता प्रमाण पत्र दिनांक 26/02/83 (अनुलग्नक पी/6) से, उन्होंने पुनः कार्यभार ग्रहण किया तथा आदेश दिनांक 06/01/84 (अनुलग्नक पी/7) से, याचिकाकर्ता के पति को महंगाई भत्ता प्रदान किया गया था। दिनांक 13/09/85 को कर्तव्य अवधि के दौरान अमर देव सिंह की हत्या कर दी गई थी।

4. याचिकाकर्ता / विधवा को वर्ष 1986 में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि वह परिवार पेंशन की भी हकदार है और इस आशय के अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किए गए थे। ज्ञापन दिनांक 06/09/88 (अनुलग्नक पी/9) के द्वारा, वन संरक्षक ने वनमंडलाधिकारी (डीएफओ) से याचिकाकर्ता के प्रकरण को अग्रेषित करने की अपेक्षा की। प्रत्युत्तर में, डीएफओ ने ज्ञापन दिनांक 03/10/88 (अनुलग्नक पी/10) भेजकर वन संरक्षक को सूचित किया कि मृतक कर्मचारी को कूप गार्ड के पद पर नियमित नहीं किया गया था और बाद में, चूंकि उन्होंने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था, अतः नियमित नियुक्ति प्रदान करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की जा सकती है। ज्ञापन दिनांक 21/03/90 (अनुलग्नक पी/12), डीएफओ द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता का प्रकरण अग्रेषित कर दिया गया है, तथापि, आक्षेपित आदेश दिनांक 02/08/95 (अनुलग्नक पी/13) के द्वारा, राज्य सरकार ने मृतक कर्मचारी को नियमित प्रास्थिति प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। याचिकाकर्ता ने अंततः अनुलग्नक पी/14 के द्वारा दिनांक 20/09/01 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिस पर कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई। अंततः याचिकाकर्ता ने यह याचिका प्रस्तुत कर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता परिवार पेंशन की हकदार है, क्योंकि वह एक शासकीय सेवक की विधवा है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि यद्यपि याचिकाकर्ता के पति ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था, नियमित नियुक्ति का आदेश जारी नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता के पति की दुर्भाग्यपूर्ण रुप से मृत्यु हो गई क्योंकि कर्तव्य पर रहते हुए उनकी हत्या कर दी गई

थी। उनके अनुसार, चूंकि मृतक कर्मचारी ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया था, इसलिए वह नियमित नियुक्ति दिए जाने का हकदार था जिसे आक्षेपित आदेश दिनांक 02/08/95 के माध्यम से अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का अगला निवेदन यह है कि यद्यपि याचिकाकर्ता के पति ने अल्प समय के लिए कार्य किया था, चूंकि वे सरकार की सेवाओं में शासकीय सेवक के रूप में नियोजित थे और कार्य करते थे, इसलिए परिवार पेंशन का लाभ याचिकाकर्ता को विस्तारित किया जाना चाहिए था।

6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के पति को वन कूप गार्ड के रूप में नियत वेतन पर दिनांक 14/05/80 से नियोजित किया गया था और उन्हें प्रशिक्षण के लिए भी भेजा गया था। वे एक नियमित कर्मचारी नहीं थे बल्कि उन्हें 400-555/- रुपये के न्यूनतम समयमान के अधीन नियोजन दिया गया था और यद्यपि महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा था, वे नियमित प्रास्थिति के हकदार नहीं थे। राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के पति को नियमित वेतनमान प्रदान करने के लिए, दिनांक 01/04/81 से मंजूरी प्रदान नहीं की गई थी बल्कि आदेश दिनांक 06/01/84 (अनुलग्नक आर-1/1) के द्वारा केवल न्यूनतम 400/- रुपये प्रदान किए गए थे। चूंकि कर्मचारी की मृत्यु दिनांक 13/09/85 को हो गई थी, जो कि पांच वर्ष से कम की सेवा थी, नियम 43 और 44 में अंतर्विष्ट उपबंधों के दृष्टिगत (1) छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (जिन्हें एतद्पश्चात् 'पेंशन नियम 1976' कहा गया है) के अधीन, किसी भी प्रकृति की कोई पेंशन ग्राह्य नहीं है। अतः, याचिकाकर्ता भी परिवार पेंशन की हकदार नहीं है। राज्य के विद्वान अधिवक्ता आगे निवेदन करते हैं कि पेंशन नियम, 1976 के नियम 45 और 47(1) के अनुसार डी.सी.आर.जी. और परिवार पेंशन अर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हक सेवा क्रमशः पांच वर्ष और सात वर्ष है। उनका निवेदन है कि नियमित नियुक्ति प्रदान करने के प्रस्ताव को इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उचित ही अस्वीकार कर दिया गया था कि याचिकाकर्ता की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। अतः, याचिकाकर्ता परिवार पेंशन की हकदार नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. सेवाकाल के दौरान मृत शासकीय सेवक के परिवार के सदस्यों को परिवार पेंशन का अनुदान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा विरचित छ.ग. सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 (संक्षेप में 'पेंशन नियम 1976') में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा शासित और विनियमित होता है। नियम 3 (1) (ई) परिवार पेंशन को नियम 47 के अधीन ग्राह्य अंशदायी 'परिवार पेंशन' के रूप में परिभाषित करता है और इसमें नियम 48 के अधीन ग्राह्य गैर-अंशदायी परिवार पेंशन सम्मिलित है। 'पेंशन' को 3(1) (एन) के अधीन पृथक् रूप से परिभाषित किया गया है जिसमें उपदान सम्मिलित है सिवाय इसके कि जब इसका प्रयोग उपदान के विपरीत अर्थ में किया जाता है। अतः, नियमों के अधीन, परिवार पेंशन और पेंशन एक ही बात नहीं है। पेंशन नियम 1979 के नियम 5 का उपनियम 1 उपबंधित करता है -

> "पेंशन / उपदान या परिवार पेंशन का कोई भी दावा उन नियमों के उपबंधों द्वारा विनियमित होगा जो उस समय प्रवृत्त हों जब कोई शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होता है या सेवानिवृत्त किया जाता है या सेवोन्मुक्त किया जाता है या उसे सेवा से त्यागपत्र देने की अनुमति दी जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसी भी स्थिति हो।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पेंशन के वर्गों और उनके अनुदान को शासित करने वाली शर्तों को पेंशन नियमों के अध्याय V में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है। नियम 43 (1) अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर पेंशन और उपदान प्रदान करने का उपबंध करता है। नियम 44 डी.सी.आर.जी. उपदान के अनुदान को विनियमित करता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंधित करता है कि एक शासकीय सेवक, जिसने पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण कर ली है और नियम 43 के अधीन सेवा उपदान या पेंशन के लिए पात्र हो गया है, उसे प्रदान किया जाएगा उसकी सेवानिवृत्ति पर उपबंध में दिए गए विस्तार तक डी.सी.आर.जी.। पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् मृत्यु के प्रकरण में, डी.सी.आर.जी. देय है।

8. तथापि, नियमों की वैधानिक योजना के अधीन, पेंशन और उपदान की योजना के विपरीत, परिवार पेंशन का अनुदान नियम 47 और 48 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा विनियमित होता है जो क्रमशः अंशदायी परिवार पेंशन और गैर-अंशदायी परिवार पेंशन से संबंधित हैं।

नियम 47 (1) यह उपबंधित करता है कि यह उपबंध दिनांक 01/04/66 को या उसके पश्चात् पेंशनयुक्त स्थापन में सेवाओं में प्रवेश करने वाले शासकीय सेवक पर लागू

होगा और उस शासकीय सेवक पर भी लागू होगा जो दिनांक 31/03/66 को सेवा में था और वित्त विभाग के ज्ञापन दिनांक 17/8/66 के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए परिवार पेंशन योजना, 1966 के उपबंधों द्वारा शासित होने लगा था।

नियम 47(2) यह उपबंधित करता है कि जहां एक शासकीय सेवक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, बशर्ते उसका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया हो और उसे सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो, मृतक का परिवार एक अंशदायी परिवार पेंशन का हकदार होगा, जिसकी राशि उपबंधों के अधीन उद्धृत चार्ट के अनुसार अवधारित की जाएगी।

9. नियम 47 के उपनियम 1 और 2 में अंतर्विष्ट उपबंधों के संयुक्त पठन से यह प्रकट होता है कि जहां एक शासकीय सेवक की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है, उसका परिवार अंशदायी परिवार पेंशन का हकदार होगा। एकमात्र शर्त यह है कि शासकीय सेवक का चिकित्सकीय परीक्षण किया गया हो और सरकार के अधीन नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाया गया हो। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि नियम 47 में अंतर्विष्ट कोई भी उपबंध यह उपबंधित नहीं करता है कि परिवार पेंशन केवल उन्हीं प्रकरणों में देय होगी, जहां शासकीय सेवक या तो न्यूनतम 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर पेंशन के लिए पात्र हो गया हो या पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण करने पर उपदान के लिए पात्र हो गया हो। दूसरे शब्दों में, परिवार पेंशन का अनुदान न तो पेंशन या उपदान प्राप्त करने की पात्रता से संबंधित उपबंधों द्वारा शासित होता है और न ही नियंत्रित होता है। जबकि पेंशन एक शासकीय सेवक को देय है, परिवार पेंशन केवल उन परिस्थितियों में देय है, जहां एक शासकीय सेवक की मृत्यु या तो सेवाकाल के दौरान या सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. पेंशन नियम 1976 की योजना यह दर्शित करती है कि सुभिन्न और पृथक् उपबंध, जो एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं, बनाए गए हैं जो एक ओर पेंशन, उपदान की हकदारी को और दूसरी ओर परिवार पेंशन की हकदारी को शासित करते हैं। नियम में ऐसा कोई अन्य उपबंध नहीं है जो या तो अभिव्यक्त रूप से या आवश्यक विवक्षा द्वारा यह उपबंधित करता हो कि मृतक के पात्र परिवार के सदस्य को परिवार पेंशन केवल तभी ग्राह्य होगी जब मृतक कर्मचारी ने अपनी मृत्यु से पूर्व पांच वर्ष की अर्हक सेवा पूर्ण कर ली हो। वे पुरोभाव्य शर्ते और अर्हताएं, जिन पर शासकीय सेवक उपदान या पेंशन का हकदार हो जाता है, उनका मृतक के परिवार के पात्र सदस्य को परिवार पेंशन प्रदान करने की हकदारी से कोई

सहसंबंध नहीं है। एक बार जब नियम 47(1) और (2) में विहित शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो मृतक शासकीय सेवक का पात्र सदस्य परिवार पेंशन का हकदार हो जाता है, चाहे मृतक कर्मचारी ने अपनी मृत्यु से पूर्व पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो या नहीं। इस न्यायालय के लिए परिवार पेंशन प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए उन शर्तों को लागू करने का कोई कारण नहीं है।

11. पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन का अनुदान लोक नियोजन के ऐसे गुण हैं जो या तो शासकीय सेवक को या शासकीय सेवक के परिवार को लाभ का उपबंध करते हैं। ये उपबंध प्रकृति में कल्याणकारी हैं। अतः, हितकारी विधानों के निर्वचन के प्रकरण में सांविधिक निर्वचन के मूलभूत नियम को लागू करते हुए, नियम 47 के उपबंधों का निर्वचन इस रीति से किया जाना चाहिए जो विधान के उद्देश्य को आगे बढ़ाए, न कि ऐसी रीति से जो इसे विफल करे या अनावश्यक रूप से इसके प्रवर्तन को निर्बंधित करे।

12. वर्तमान प्रकरण में, नियम 48 में अंतर्विष्ट उपबंधों के लागू होने की कोई गुंजाइश नहीं है जो गैर-अंशदायी परिवार पेंशन से संबंधित है क्योंकि इसकी प्रयोज्यता केवल ऐसे शासकीय सेवक तक ही निर्बंधित है जो दिनांक 31/03/66 को सेवा में था। प्रकरण के तथ्य जो विवादित नहीं हैं, वे यह हैं कि याचिकाकर्ता को आदेश दिनांक 14/05/80 के माध्यम से शासकीय सेवा में कूप गार्ड के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें प्रशिक्षण के लिए भी भेजा गया था जिसे उन्होंने वर्ष 1983 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया था। तत्पश्चात्, आदेश दिनांक 06/01/84 के माध्यम से, उनका वेतन 400-555/- रुपये के न्यूनतम वेतनमान पर नियत कर, दिनांक 01/04/81 से प्रभावी किया गया । अभिवचनों और दस्तावेजों से यह सिद्ध होता है कि कर्मचारी की मृत्यु से पूर्व, नियमित नियुक्ति का आदेश जारी नहीं किया जा सका, यद्यपि प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर, मृतक कर्मचारी नियमित नियुक्ति प्रदान किए जाने का हकदार था। इस आशय की एक अनुशंसा दिनांक 02/08/88 को वनमंडलाधिकारी द्वारा भी की गई थी, जिसका उल्लेख महानिदेशक वन, मध्य प्रदेश, भोपाल को संबोधित ज्ञापन दिनांक 03/10/88 (अनुलग्नक पी/10) में मिलता है, तथापि, सरकार ने आक्षेपित आदेश के माध्यम से, बिना कोई कारण अभिलिखित किए, प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। यहां तक कि विवरणी में भी, कोई कारण समनुदेशित नहीं किए गए हैं कि कार्योत्तर नियमित प्रास्थिति क्यों नहीं प्रदान की जा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

सकी यद्यपि मृतक ने सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया था और उसे न्यूनतम वेतनमान प्रदान किया गया था। अतः राज्य सरकार का आदेश स्पष्ट रूप से मनमाना और अवैध है तथा इसलिए आदेश दिनांक 02/08/95 (अनुलग्नक पी/13) को अपास्त किया जाता है। राज्य मृतक कर्मचारी को नियमित प्रास्थिति के लिए कार्योत्तर मंजूरी प्रदान करते हुए आवश्यक आदेश जारी करेगा और तत्पश्चात्, परिवार पेंशन प्रदान करने के दावे को शीघ्रता से निर्णित किया जाएगा ताकि याचिकाकर्ता को देय तिथि से परिवार पेंशन प्राप्त हो सके। यह आवश्यक प्रक्रिया इस आदेश की प्रति की प्राप्ति की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर पूर्ण की जाएगी और परिवार पेंशन की बकाया राशि का भुगतान भी उक्त अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को किया जाएगा। तदनुसार याचिका स्वीकार की जाती है। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

**सही/-**

**मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव**

**न्यायाधीश**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

**अस्वीकरणः** हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By Bhumesh Bharti**